न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 122/2011/225 आरटीए

1. राजेराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. हरभज पुत्र जगराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुल्तानसिंह पुत्र जगराम जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पत्नि दिवानसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. भूपसिंह पुत्र दिवानसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. ळवासिंह पुत्र दिवानसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.09.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर भादरा

प्रकरण संख्या 130/2011 अनवानी हरभज आदि बनाम राजेराम

श्री राजेन्द्र नेमीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –25.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया जिसमे दिनांक 11.07.2011

को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2014 मे जगराम वगैरा की काश्त अंकित होना स्वीकार किया है जिससे अपीलांट के पूर्वजो का कब्जा संयुक्त रूप से साबित था तथा अपीलांट का यह कथन की प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सांझे की कई खसरो की भूमि होना साबित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल जगराम की कब्जा काश्त मानने मे कानूनी भूल की है जो काबिले खारिज है। नकल खसरा गिरदावरी भांगवा की सम्वत 2008 से 2013 मे जगराम वल्द मोटा की काश्त अंकित होना माना गया है जबकि उक्त खसरा गिरदावरी मे श्योराम की भूमि व जगराम तथा चेतराम की काश्त है तथा खसरा नं. 175 सम्वत 2008 से 09 की खसरा गिरदावरी मे शोराम, वधु, नानक पि. दीपाराम दर्ज है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का विवेचन व विश्लेषण किये जगराम अकेले का कब्जा काश्त माना जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सायलान रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से रेस्पो0 का या रेस्पो0 के पूर्वजो का अकेले का कब्जा काश्त हो कतई साबित नही था और न ही रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को साबित किया है कि पूर्व मे किस किस खसरा मे कितनी भूमि थी उससे वर्तमान खसरा बने या नही कितनी भूमि किसके नाम से पैमूद हुई, कुछ भी साबित नही था फिर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो अपास्त योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय ने रसीद माल सन् 1970 से 86 को रेस्पो0 के पक्ष मे माना है जबकि उन रसीद मे न तो खसरा नम्बर अंकित है और न रकबा का अंकन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की रसीद ही मानी जाकर रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णय पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने मे कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की सांझे मे निकानी गयी तथा सांझे के कब्जा काश्त की भूमि है जो पुराने समय मे कभी किसी के नाम से कम व कभी ज्यादा रकबा की गिरदावरियां होती रही तथा एकीकरण के समय कब्जा काश्त के मुताबिक अपीलांट के नाम से 1/4 हिस्सा की खातेदारी सही दर्ज की गयी जिसे रेस्पो0 आज तक स्वीकार करते आये है। अपीलांट प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार व संयुक्त रूप से काबिज काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलांट के पक्ष मे होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे माना जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2011 को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 के पूर्वज वादग्रस्त भूमि की सम्वत 2008 से 13 तक की गिरदावरी नाम है। भू–प्रबन्धक विभाग ने अपीलांट का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया। रामधन के वारिसो से इस भूमि व परिवार से कोई संबंध नही है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद है जिसमे स्थगन आदेश दिया जाना चाहिए। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे जब तक मूल वाद का निर्णय नही हो जाता है तब तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी आवश्यक है, ताकि भूमि की स्थिति मे परिवर्तन नही हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तीनो बिन्दूओ को रेस्पो0 के पक्ष मे मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2013 पेज 152, आरबीजे 2009 पेज 78, आरआरडी 2002 पेज 744, डीएनजे 1995 पेज 691,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरआरटी 2002 पेज 324 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायाल की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2011 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म करते हुए अपने निर्णय मे उल्लेखित किया है कि '' प्रार्थीगण का वाद कब्जे के आधार पर पेश किया गया है, जिसका निर्णय मूल दावे मे होना है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–14 की पेश की है, जिसमे जगराम वगैरा व मोटाराम की खुदकाश्त अंकित है। नकल खसरा गिरदावरी भागवा की सम्वत 2008 से 2013 की पेश की है जिसमे जगराम वल्द मोटाराम के नाम काश्त होना अंकित है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 34 की पेश की है जिसमे जगराम वगैरा के नाम काश्त होना अंकित है। प्रार्थीगण ने रसीद माल सन् 1970 से 86 की पेश की है जिसमे जगराम वल्द मोटाराम आदि के नाम से जारी की गई है जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयां मामला बनता है। प्रार्थीगण ने अपनी बहस के साथ पड़ौसियों कुरड़ाराम पुत्र सहीराम, कृष्ण पुत्र चेतराम, महावीर पुत्र डूंगरराम, अमरसिंह पुत्र माईसुख, महावीर पुत्र बनवारीराम, भलेसिंह पुत्र भागीरथ, जिलेसिंह पुत्र हरजी, ब्रहादेव पुत्र रामजीलाल, फूलसिंह पुत्र रामधन के शपथ पत्र पेश किये है जिसमे कब्जा प्रार्थीगण का बताया गया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थी भूमि का बैचान कर देता है तो प्रार्थीगण को ना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूरा होने वाला नुकसान होगा। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी होता है तो अप्रार्थी को कोई असुविधा नही होगी, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने की सूरत मे कम्पेरेटिव हार्डशीप प्रार्थीगण पक्ष को होगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे धारा 212 आरटीए के तहत विस्तृत विवेचन करते ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.07.2011 को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। चूंकि उभय पक्षो के हकों का निर्धारण मूल वाद में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर किया जाना है, तब तक वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वाद बहुलता को रोकने एवं पक्षकार के हितो का सुरक्षित रखने हेतु वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official